कार्यालय कलेक्टर शहडोल (म.प्र.)
R/C...
22 JUN 2007
शाखा ...
अधीक्षक कलेक्टर

10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
CANCELLED

(56)

R 1093-II/07

1. नागेश प्रसाद
2. उमेश प्रसाद
3. अम्बिकेश प्रसाद
4. मृत्युंजय प्रसाद
5. शशिभूषण
6. लक्ष्मीदेवी

सभी पुत्र एवं पुत्री स्व0 केदार प्रसाद मिश्रा निवासी सोहागपुर गढ़ी के पीछे वार्ड नं0-1 तहसील-सोहागपुर जिला-शहडोल म0प्र0

---आवेदक गण।

बनाम

1. केमलू
2. मंगलू
3. लोरा

तीनों पिता ननकौनी बैगा

4. जगतू पिता नवलू

5. जवाहिरा (फौत)

5. रिखइया
6. अम्हा
7. हरी

तीनों पिता जवाहिरा

बहिरा (फौत)

8. गोरे
9. लालमन
10. मोती

तीनों पिता बहिरा

11. बरकाइन पत्नी भोली

सभी जाति बैगा सभी निवासी ग्राम बरूका तहसील-सोहागपुर जिला-शहडोल (म0प्र0)

12. वसूली अधिकारी (अति0 तहसीलदार) —

क्रमांक RE11
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 28-6-07 को प्राप्त
क्लार्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

करण कमांक निग0 1093–दो/2007 जिला– शहडोल

तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
–06–2016	यह निगरानी आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 16/93–94/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26.5.97 एवं न्यायालय कलेक्टर शहडोल के निगरानी क्र0 113/86–87 आदेश दिनांक 29.06.88 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया की बैंक नीलामी में संयुक्त स्वामित्व की उतनी ही भूमि नीलामी में प्राप्त की थी जो बहिरा वल्द हरीदीन बैगा सह–भूमिस्वामी के हिस्से की थी और उतनी ही भूमि का नामांतरण, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया था । किन्तु एक खसरा नम्बर की त्रुटि हो जाने के कारण उक्त त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पेश किये जाने पर तहसीलदार द्वारा जो एक खसरा नम्बर त्रुटि सुधार होने का आदेश पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध कलेक्टर शहडोल के यहां निगरानी प्रस्तुत की गई । कलेक्टर शहडोल द्वारा अपने आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया नामांतरण निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध आयुक्त रीवा के यहॉ निगरानी होने पर आदेश दिनांक 26.5.1997 को यह आदेशित किया है कि " यदि संयुक्त खाता है और उसमें से किसी एक खातेदार द्वारा	

ऋण लिया गया है तो नीलामी करने के पूर्व सहभूमिस्वामियों की मंजूरी आवश्यक है । यदि ऋण देते समय यह मंजूरी प्राप्त नहीं की गई तो केवल उस भूमिस्वामी के हिस्से की आराजी नीलाम की जा सकती है, जिसने स्वयं ऋण लिया है शेष खातेदारों को ऋण लेने वाले व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता । आवेदकों का कहना है कि केवल बहिरा पिता हरीदीन द्वारा कर्ज लिया गया था । अतः कानून की मंशा के अनुसार केवल बहिरा के स्थान पर बद्रीप्रसाद का नाम दर्ज किया जा सकता था और उत्तरवादी बद्रीप्रसाद उतनी आराजी पाने का कहदार है ।" आयुक्त रीवा के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अनावेदक सूचित होने के उपरांत भी अनुपस्थित है । अतः अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

4/ आवेदक के तर्क सुने । तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तथा अभिलेख देखने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि कलेक्टर का यह निष्कर्ष भी उचित है क्योंकि जिस व्यक्ति ने कर्ज ही नहीं लिया उसके स्वामित्व की भूमि नीलाम नहीं की जा सकती । आवेदक ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रमाणित हो सके कि सभी सहभूमिस्वामियों ने कर्ज लिया था । ऐसी स्थिति में कलेक्टर का विचाराधीन आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता इस तर्क से सहमत है कि संयुक्त स्वामित्व की भूमि का सिर्फ वही हिस्सा नीलाम होना चाहिये

जो कर्जदार का है शेष दो सहभूमिस्वामियों का हिस्सा नीलाम नहीं होना चाहिये, जिन्होंने कर्ज नहीं लिया है । उनके द्वारा जो नीलाम में भूमि क्रय की गई है वह कर्जदार की है । इस प्रकार उन्हें नामांतत्रित किये जाने का वैधानिक अधिकार है

6/ आयुक्त रीवा ने अपने आदेश दिनांक 26.05.1997 में जो कलेक्टर के मत से सहमति व्यक्त की है वह विधीनुसार है । इस प्रकार आयुक्त का आदेश में कोई विधिक त्रुटि न पाये जाने से स्थिर रखा जाता है, किन्तु आवेदक को इस बात की वैधानिक स्वतंत्रता है कि कर्जदार की नीलामी में प्राप्त भूमि का नामांतरण कराने का हकदार है । अतः अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार यह सुनिश्चित करते हुये कि कर्जदार का हिस्सा ही नीलाम हुआ है जिसे आवेदक ने नीलामी से क्रय किया है । तदुपरांत यह सुनिश्चित करने के उपरांत ही राजस्व अभिलेख में नामांतरण किया जावे ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य